न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 181/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/312

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी खौड़ तहसील रानी जिला पाली		1. महेन्द्रसिंह राठौड़ पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी खौड़ तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत खौड़ जरिये सरपंच

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11/12/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 48/2013–14, संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.11.2015 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्त की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम खौड़ तहसील रानी के मूल निवासी है जहां पर उभयपक्ष का पैतृक पुश्तैनी भूखण्ड आया हुआ है, जो उभयपक्ष के पिता स्व. जयसिंह वल्द भूरसिंह का कब्जा सुदा था, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण दिशा में जयसिंह की खरीदसुदा खातेदारी भूमि, पूर्व दिशा में राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय, खौड़ तथा पश्चिम दिशा में मेणो के मकान स्थित है। स्व. जयसिंह के चार पुत्र महेन्द्रसिंह, चन्दनसिंह, प्रतापसिंह तथा दिलीपसिंह है तथा जयसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पति का बराबर–बराबर हिस्सो में मौखिक बंटवाड़ा कर अपने पुत्रों को अलग–अलग भौतिक कब्जा सुपूर्द कर दिया था। महेन्द्रसिंह ने परिवार में बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हुये उपरोक्त पुश्तैनी भूखण्ड का गलत रूप से अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का पट्टा विलेख संख्या 166 दिनांक 30.10.1999 जारी करवाया, तत्पश्चात् उक्त पट्टे पर प्रश्नगत पट्टा विलेख पुनः अपने पक्ष में जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत को केवल नजूल भूमि अर्थात् आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है जबकि जैर निगरानी पट्टा में वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 2 की नजूल भूमि नहीं होकर अप्रार्थी महेन्द्रसिंह के नाम जारी पट्टा संख्या 166 की भूमि है, जो अप्रार्थी स्वयं का स्वीकृत तथ्य है। जैर निगरानी में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रस्तावित भूमि की अवस्थिति, पड़ौस एवं नाप दर्ज नहीं है और न ही शुल्क जमा करवायी गयी। साथ ही मिसल में सरवर्क, आज्ञा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

सूची, शपथ–पत्र, मौका निरीक्षण प्रपत्र, आबादी भूमि, निरीक्षण प्रपत्र, आक्षेप नोटिस, नक्शा प्रपत्र, बयान फार्म पहले से कम्प्यूटर टाईप किये हुये है, जिसमें एक ही दिन में एक ही पेन से केवलमात्र खाना पूर्ति की गई है। ग्राम पंचायत ने मौका निरीक्षण हेतु न तो तीन पंचों को मनोनीत किया है और न ही आपत्ति ईश्तहार चस्पा किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत केवल 300 वर्गगज तक का ही पट्टा जारी कर सकते है लेकिन हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने 4284 वर्गफीट यानि 476 वर्गगज क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी किया। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1, उसकी पत्नी व उसके पुत्रों ने अपने हिस्से से ज्यादा वादग्रस्त भूखण्ड पर जोर जबरदस्ती से कब्जा कर नव–निर्माण करने हेतु आमदा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सिविल न्यायालय रानी में दावा प्रस्तुत किया, जिसमें जैर निगरानी पट्टे की प्रति प्रस्तुत की एवं उक्त प्रति से प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी प्राप्त हुई। जैर निगरानी पट्टा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी Ab Intio है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RLW 2000(2) Raj, RLR 1996(1), 2019(1) CJ(Civ.) (Raj) 77, 2012(2) RRT 1265, 2016(4) DNJ (Raj.)1799, 144 DNJ (Raj.)1996, RRT 2001(1), RLR 1987 (1) पेश कर ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्व तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी सम्पति जयसिंह की है तथा जयसिंह ने अपने जीवनकाल में ही उक्त सम्पति का अपने चारों बच्चों के नाम पट्टे जारी करवा दिये। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही भूमि का बंटवाड़ा करते है और उसमें कम ज्यादा भूमि आती है तो उसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का कोई उल्लंघन नहीं है। चारों भाईयों की पट्टों की फाइल एक साथ लगाई गयी एवं जयसिंह की सम्पति में से पट्टा बनाने हेतु प्रार्थी तथा अप्रार्थी का आवेदन एक जैसा है तथा उन सभी में एक जैसी ही प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें बयान भी एक ही दिनांक को लिये गये एवं सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही समस्त बैठकों में एक जैसी ही कार्यवाही की गयी है। साथ ही प्रार्थी के पट्टे की मिसल एवं अप्रार्थी की पट्टे की मिसल दोनों में प्रस्तावित भूमि का नक्शा दुबारा जारी किया गया है तथा उसी नक्शे से पट्टे जारी किये गये है। यदि जैर प्रकरण में नियमों की पालना नहीं हुई है इसकी बात तो तब होती जब महेन्द्रसिंह ने अकेले ही अपने पक्ष में पट्टा बनाया हो परन्तु अप्रार्थी ने तो अपने सभी भाईयों के पक्ष में पट्टा बनाया है, जो विधिनुसार है। प्रार्थी ने इन्ही आधारों पर सिविल वाद भी पेश किया है जिनमें उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं मिली है, प्रार्थी को उक्त पट्टे एवं उसकी प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी थी, उसके उपरान्त भी प्रार्थी ने जैर निगरानी 25 वर्ष बाद प्रस्तुत की है एवं उक्त देरीना के कोई स्पष्ट कारण भी प्रस्तुत नहीं किये है, इसलिये भी जैर निगरानी खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी ने बिना किसी ठोस आधार के जैर निगरानी प्रस्तुत की है, जिस खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 48/2013–14, संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.11.2015 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 25 वर्ष बाद प्रस्तुत की है उसमें भी देरीना का कोई स्पष्ट कारण पेश नहीं किया है, जो म्याद बाहर होने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये कथन किया कि राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994 के नियम 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नहीं की है एवं इसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Raj) 1999 पेश किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण के कथनों के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त RLW 2000(2) Raj 911 के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953, धारा 27–क सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961, नियम 272– अधिनियम या :नियम के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों की अनुपस्थिति – नियम 272 के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग– अभिनिर्धारित – न्यायोचित अवधि के भीतर प्रयोग करना चाहिए – न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी – न्यायालय केवल विधि की व्याख्या करते है न कि विधि का निर्माण करते है, जो कि अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों का समर्थन नहीं करती है इसलिये जैर निगरानी अन्दर म्याद शुमार की जाती है, साथ ही राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के नियम 97 के तहत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नहीं की है। इसके अतिरिक्त वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि जैर आराजी महेन्द्रसिंह की पट्टेसुदा आराजी थी एवं निगरानी केवलमात्र हितबद्ध पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है परन्तु जैर निगरानी में प्रार्थी का कोई हित निहित नहीं है जबकि अधिवक्ता प्रार्थी ने इस कथन का विरोध करते हुये यह जाहिर किया कि राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति निगरानी प्रस्तुत कर सकता है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा, पूर्व में ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा महेन्द्रसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 166 दिनांक 30.10.1999 पर जारी पट्टासुदा आराजी पर ही जारी किया हुआ है, जिसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि जैर आराजी महेन्द्रसिंह की नजूल सम्पति थी, जिसका पट्टा उन्हे प्राप्त हो चुका था एवं महेन्द्रसिंह ने अपनी सहमति से अपनी ही आराजी का पट्टा अपने पुत्रों के नाम जारी करवाया, जो विधिनुसार है। जैर निगरानी आराजी का पूर्व में महेन्द्रसिंह के नाम पट्टा जारी हो चुका है यह तथ्य स्वयं अधिवक्ता अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से भी यही स्थिति प्रकट होती है, जिसके पश्चात किसी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा –

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह भी रहा कि ग्राम पंचायत ने नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी को 4284 वर्गफीट अर्थात् 476 वर्गगज का जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया जबकि पंचायतीराज नियम 157(1) में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये कथन किया कि जैर आराजी महेन्द्रसिंह की पट्टासुदा आराजी थी एवं महेन्द्रसिंह ने अपनी सहमति से ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया, यदि पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत की कोई तकनीकी त्रुटि रह जाती है तो उसके लिये अप्रार्थी जिम्मेदार नहीं है। जहां तक पट्टा जारी करने के आधार 1996 के नियम 157 के अनुरूप होने का सम्बन्ध है न्यायाधीश द्वारा इस पर विस्तार से विचार किया गया है और इस आशय का एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया कि, पट्टा 4284 वर्गफीट की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rasjasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वगर्गज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किये गये है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। अप्रार्थी ने जैर आराजी का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत न कर एक शपथ पत्र पेश किया, उसके साथ प्रस्तावित भूमि का किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बनिधत मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 10.08.2015, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किया गया, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। साथ ही उक्त नक्शा कब बनाया गया, के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। मनोनित तीन पंच नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं तथा पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण मिसल एवं बयानफार्म निर्धारित प्रारूप में प्रिटेंट है तथा बयानफार्म में गवाहों के बयान कब लिये गये, के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। मिसल की आदेशिका दिनांक 20.10.2015 में आपत्ति आमंत्रण नोटिस क्रमांक 05 दिनांक 20.10.2015 अंकित है जबकि प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर डिस्पेस संख्या SPL01 दिनांक 25.08.2015 अंकित है, जो परस्पर विरोधाभासी है, साथ ही प्रकरण में जारी आपत्ति इश्तिहार के सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है उनकी वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है, इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 48/2013–14, संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.11.2015 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 05.11.2015 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner